

डीएसएलएसए के साथ मिलकर बीएसईएस की दो दिवसीय लोक अदालत:

9-10 दिसंबर को करवाएं बिजली चोरी मामलों का त्वरित निपटारा

नई दिल्ली: 6 दिसंबर। बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 9 और 10 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। एकसाथ 38 अदालतें बिजली चोरी से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी। बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए जिला न्यायालय साकेत व द्वारका, तथा बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए जिला न्यायालय कडकडडूमा व आईटीओ स्थित पीएलए बिल्डिंग में ये अदालतें लगाई जाएंगी। बीएसईएस, अपने उपभोक्ताओं के अनुरोध पर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर इन अदालतों का आयोजन कर रही है।

बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी— दोनों तरह के मामलों का निपटारा इन अदालतों में किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। ये अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेंगी।

बीआरपीएल उपभोक्ताओं के मामलों के निपटारे के लिए के लिए 20 अदालतें और बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के मामलों के निपटारे के लिए 18 अदालतें लगाई होंगी। लोगों की सहायता के लिए वहां हेल्प डेस्क भी लगाई जाएंगी, जहां इस कार्य के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित बीएसईएस अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बिजली चोरी मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ता अपने सेटलड/फाइनल बिल का वहीं पर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कैश काउंटर की व्यवस्था होगी। यही नहीं, भुगतान के बाद वे अदालत परिसर में ही बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, बीएसईएस के निर्धारित ऑफिसों में भी तय रकम का भुगतान किया जा सकता है। सेटलड रकम के भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

यह दो दिवसीय लोक अदालत, दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं, तथा पूर्वी व मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक, वन-टाइम अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।

लोक अदालत से संबंधित 20,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे गए हैं। इनमें सर्वाधिक मामले दरियागंज और नजफगढ़ डिविजनों के हैं।

बीआरपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं— नजफगढ़, मुंडका, जाफरपुर, साकेत और सरिता विहार। वहीं, बीवाईपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं— दरियागंज, पहाड़गंज, जीटी रोड, नंद नगरी और यमुना विहार।

उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए यह आखिरी अवसर है। यदि वह इसमें डिफॉल्ट करते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रावधानों के मुताबिक, आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

लोक अदालत के आयोजन के बारे में उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, लीफलेट, पोस्टर, बैनर, मुनादी, एसएमएस और वॉट्सऐप आदि जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

बीएसईएस ने अपनी पर्यावरण-हितैषी नीतियों का ध्यान में रखते हुए, इसे एक हरित यानी ग्रीन लोक अदालत के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। बीएसईएस और डीएलएसए ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि यह लोक अदालत एक कागजविहीन यानी पेपरलेस लोक अदालत हो। गौरतलब है कि वहां फाइलों की आवाजाही नहीं होगी। बिजली चोरी के मामलों से संबंधित सभी जरूरी कागजात वहां कंप्यूटरों पर उपलब्ध होंगे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, हम पूर्वी व मध्य तथा दक्षिण व पश्चिम दिल्ली के अपने उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि वे इस अनोखे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का यहां निपटारा करवाएं। यह उनके लिए सुनहरा मौका है। लोक अदालत उन्हें यह अवसर उपलब्ध करा रही है कि वे अपने मामलों का परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा करवाएं। यह उनके लिए काफी समय लेने वाली व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से बचने का अवसर भी मुहैया करा रही है। साथ ही, यह उन्हें कानूनी ढंग से बिजली का कनेक्शन लेने का मौका भी उपलब्ध करा रही है।

प्रवक्ता के अनुसार, इस तरह की लोक अदालतें न सिर्फ उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को तेजी से और परस्पर स्वीकार्य ढंग से अपने मामलों का निपटारा करवाने का अवसर देती हैं, बल्कि इनसे अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है। गौरतलब है कि पिछली 14 लोक अदालतों के दौरान बिजली चोरी से संबंधित करीब 22,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।
